

भागलपुर समाहरणालय

पत्रांक ~~14/डी०एल०ए० भागलपुर (थाना भवन) सं० 8/43~~
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

संख्या3.1.1.3./रा०

दिनांक31-12-13

आर० चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम परतापनगर चादर नं० 2 थाना नं० 124 राजस्व थाना बिहपुर अंचल नवगछिया जिला भागलपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ढोलबज्जा थाना भवन निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम परतापनगर चादर नं० 2 थाना नं० 124 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश बीग्धा X कटठा X धुर X जो कृषि योग्य 0.15 एकड़ भूमि है, जो कुल 0.15 एकड़ के बराबर होता है। जिसका खेसरा संख्या निम्न प्रकार है -


अंश खेसरा संख्या 2437 तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है -

- उत्तर - अंश खेसरा नं० 2442
पुरब - अंश खेसरा नं० 2438 एवं पूर्ण खेसरा नं० 2440
दक्षिण - अंश खेसरा नं० 2437
पश्चिम - अंश खेसरा नं० 2437

भूमि वो भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, पत्थर, स्लेट या अन्य किसी खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिये भू-अर्जन की जा रही है, उसके निर्माण के लिये खोदना या हटाना या उपभोग में लाना आवश्यक हो तो लिये जायेगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1, 1894 एवं भू-अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 6 के उपबन्धों यथा संशोधित बिहार अधिनियम 11 सन 1961 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी किया जाता है, जिसका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।



समाहर्ता,
भागलपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप सं0 - 14/डी0एल0ए0, भागलपुर (थाना भवन)- 8/13 - 3113/रा०, दि०-31-12-13

- प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, भागलपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

2